

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

50

भारत



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

N 475876

**S. L. DHARGAVE**  
"NOTARY"  
RAJNANDGAON  
Distt. Rajnandgaon (C.S.)


## प्रारूप क (शपथ पत्र)

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं / करती हूं कि

- 01- विद्यालय (नाम ) विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल ग्राम व पोस्ट गोटा टोला तहसील मोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की समिति नाम दीप जागृति फाउण्डेशन ग्राम बम्हनीचारभाठा तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अधिनियम का नाम में विधिवत पंजीकृत है जिसका पंजीयन नम्बर .छगराज्य-5054.. दिनांक 19 दिसम्बर 2014..... है । समिति के विधान में शिक्षा के प्रसार करना । एक मुख्य उद्देश्य है । समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र ,समिति का विधान की प्रमाणित प्रति तथा पदाधिकारी की प्रमाणित सूची संलग्न है ।
- 02- समिति ने शाला . विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल .ग्राम पोस्ट गोटाटोला तहसील मोहला जिला राजनांदगांव में कक्षा नर्सरी से पांचवी तक संचालन का प्रस्ताव पारित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये मुझे अधिकृत किया है । समिति द्वारा अधिकृत करने का प्रस्ताव संलग्न है ।
- 03- समिति समय-समय पर शासन द्वारा जारी संस्था पर लागू आदेश /ज्ञापन/ निर्देशों एवं विभागीय नियमों का पूर्णत पालन करेगी ।
- 04- संस्था में विद्यार्थियों से प्राप्त सम्पूर्ण शुल्क का पूर्ण विवरण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रखा जायेगा ।



15 MAR 2015

  
अध्यक्ष/सचिव  
दीप जागृति फाउण्डेशन बम्हनी चारभाठा  
पंजी. क्र. छ.ग. राज्य 5054

पंजी. क्रमांक 3445 दिनांक 24/2/18  
 प्रथम पक्षकार का नाम जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव  
 द्वितीय पक्षकार का नाम राजनांदगांव  
 शाखा का नाम राजनांदगांव  
 वास्ते राजनांदगांव  
 बयाना का विवरण राजनांदगांव  
 स्टाम्प किसका राजनांदगांव

जिला कोषालय  
 राजनांदगांव (उ.प्र.)  
 22 FEB 2018  
 को.अ.

तोपेश चक्रवर्ती श्रीधरनाथ  
 स्टाम्प वेणुकर  
 जिला न्यायालय, राजनांदगांव

// पावती //

--: शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कक्षा तीसरी से पांचवी तक संचालन की अनुमति :-

शपथ पत्र निर्धारित पंजी के अनुक्रमांक 136 में दिनांक 04.09.18 को पंजीकृत किया गया है।  
 टीप:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रपत्र-एक की पूर्ति करने पर ही उपरोक्त अनुमति मान्य होगी, अथवा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
 राजनांदगांव

// पावती //

--: शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कक्षा नर्सरी से पांचवी की अनुमति :-

शपथ पत्र निर्धारित पंजी के अनुक्रमांक में दिनांक को पंजीकृत किया गया है।

टीप:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रपत्र-एक की पूर्ति करने पर ही उपरोक्त अनुमति मान्य होगी, अथवा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
 राजनांदगांव

// पावती //

--: शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कक्षा नर्सरी से कक्षा दूसरी तक (अंग्रेजी माध्यम) की अनुमति :-

शपथ पत्र निर्धारित पंजी के अनुक्रमांक 121 में दिनांक 20.6.18 को पंजीकृत किया गया है।

टीप:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रपत्र-एक की पूर्ति करने पर ही उपरोक्त अनुमति मान्य होगी, अथवा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
 राजनांदगांव (C.G.)

- 05- संस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों का वेतन व भत्ता का भुगतान रेखांकित चैक से किया जाता है /जायेगा तथा सम्पूर्ण लेख जोखा व्यवस्थित रूप से संधारित किया जा रहा है/ जायेगा ।
- 06- समिति एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के संयुक्त नामित बाण्ड /बचत पत्र/सावधि जमा अनुक्रमांक ...224146...दिनांक . 10 मार्च 2016...राशि 10,000 /- (दस हजार रूपया ) बैंक का नाम में जमा कर दिया गया है ।
- 07- संस्था में शिक्षक स्टाफ विषयमान से छगशासन द्वारा निर्धारित रचनाक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त रखा गया है /जाएगा ।
- 08- छात्र संख्या के मान से खेल मैदान पर्याप्त आकार का उपलब्ध है ।
- 09- विद्यालय में कक्षा की संख्या ..05.. प्रत्येक कक्षा का आकार वर्ग फीट में उल्लेखित करे । प्रयोग शाला 1 पुस्तकालय 1 कार्यालय व अन्य .....06.... सहित कुल कमरे है जो छात्र संख्या ( 14 वर्गफीट प्रति छात्र के मान से पर्याप्त है ) यह भवन किराये से लिया गया है । भवन किराये से लेने का किराया अनुबन्ध की प्रति संलग्न है ।
- 10- विद्यालय में कृषि संकाय हेतु ....लागू नहीं.....पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है ।
- 11- प्रति वर्ष शिक्षण संस्था अपनी समिति के लेखा जोखा का प्रतिवर्ष अंकेक्षण सीए से करवाती है ।
- 12- विद्यालय में शिक्षण हेतु आवश्यक सभी शैक्षणिक उपकरण पुस्तके फर्नीचर आदि छात्र संख्या के अनुपात से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है ।
- 13- शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये आने पर शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि कराई जाएगी । शपथ पत्र सत्य न पाये जाने अथवा उसके विपरीत स्थिति होने पर संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन एवं शाला बंद करने की कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।
- 14- संस्था का जब विद्यालय का संचालन बंद करेगी उसकी पूर्व सूचना उप संचालक शिक्षा विभाग को एक माह पूर्व देगी ।
- 15- कक्षा 5 , 8 की विभागीय परीक्षा की मान्यता हेतु निर्धारित मापदंड व शर्तों की पूर्ति कर ली गई है एतद विषयक समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पूर्ति करेगी ।
- 16- विद्यालय में प्राप्त विभिन्न प्रकार के शुल्क अन्य प्राप्ति व व्यय का विवरण शिक्षा विभाग के अंकेक्षण हेतु आदेश करने पर उपलब्ध कराया जाएगा ।



Ajeet Vasant  
एसडीएम, मोहला

07/04/16



ATTESTED

S. L. DHARGAVE  
NOTARY Rajnandgaon  
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

15 MAR 2015

अध्यक्ष दीप जागृति फाउण्डेशन  
दीप जागृति फाउण्डेशन बम्हनी चारभांठा  
ग्रामी. बम्हनी. चारभांठा 5054

पट्ट्यागवती  
Ramle  
① विपिन दामले  
स्टेशन पारा  
राजनांदगांव

T. Subant  
② पुलकिर्त जैन  
ममतानगर  
राजनांदगांव